राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
7वां तल, C विंग, दिल्ली सचिवालय
आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002
Email:arupdate@nic.in

F.5/11/2021/AR/6785 Dated: 31/12/2021

सेवामें

सचिव,

दिल्ली विधान सभा सचिवालय,

पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषयः श्री सोमनाथ भारती, विधायक, द्वारा उठाए गए विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्याः– 82 जो कि 03.01.2022 के लिए है, के संदर्भ में।

महोदय,

कृपया उप सचिव (प्रश्न शाखा), दिल्ली विधानसभा सचिवालय के पत्र दिनांक 24.12.2021 के संदर्भ में देखें, जिसके द्वारा श्री सोमनाथ भारती, विधायक, द्वारा उठाए गए विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 82 जो कि 03.01.2022 के लिए है, इस विभाग को उत्तर देने के लिए भेजा गया है।

2. इस सम्बन्ध में, इस विभाग से सम्बन्धित उत्तर अनुलग्नक 'A' के रूप में प्राप्त करें (**100 प्रतिलिपि**)।

3. यह माननीय मंत्री (प्र0सु0) के पूर्व अनुमोदन से जारी हुआ है।

भवदीय,

31/12/2021

(लक्ष्मी राज सिंह),

उप निदेशक (प्र0सु0)

दूरभाष:011-23392483

अनुलग्नकः उपरोक्तानुसार

Scanned by TapScanner

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग,
7वां तल, 'C' विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्याः– 82

दिनांकः–03.01.2022

प्रश्नकर्त्ता का नामः– श्री सोमनाथ भारती, विधायक

क्या माननीय प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः–

प्रश्न	उत्तर
क) क्या विभागों और अधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता को बेहतर करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है या इस संबंध में कोई अन्य कदम उठाए गए हैं ;	जी हाँ
ख) यदि हॉं, ऐसे अध्ययनों/कदमों का विभागवार संपूर्ण विवरण क्या है ; और	1. प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में उनकी कमियों की पहचान करने के लिए संगठन और विधियों (O&M) का निरीक्षण किया जाता है। विभागों से आगे अनुरोध किया जाता है कि वे संगठन और विधियों (O&M) की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उनके सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करें। 2. जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए लोक शिकायत निगरानी प्रणाली (Public Grievance Monitoring System) का संचालन किया जाता है। साथ ही साथ समय–समय पर अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति को जॉचने हेतु औचक (Surprise) Punctuality Drive का आयोजन किया जाता है ताकि अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में समय पर उपस्थित रहें। 3. प्रशासनिक सुधार विभाग दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारीयों को कार्यालय पद्धति नियमों से सम्बंधित जानकारी बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय पद्धति नियम परीक्षा तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बंधित जानकारी बढ़ाने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 पर आधारित जाँच परीक्षा का आयोजन करता है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों/अधिकारीयों को प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कृत राशि का लाभ दिया जाता है।

Scanned by TapScanner

ग) वर्ष 2014 के बाद से जिन नियमों / उपनियमों को रद्द किया गया या जो नए बनाए गए, उनकी प्रतिलिपि?	इस संदर्भ में, प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार या दिल्ली सरकार द्वारा जारी निर्देशों एवं नियमों का पालन करता है।

(राजीव यदुवंशी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव / विभागाध्यक्ष

Scanned by TapScanner